राजस्थान-सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

क्रमांक/राम/ भू0अ0/एल.आर.सी./कोटा डिवीजन/02/1376-1407 दिनांकः- 24.02.03

जिला कलेक्टर (भू.अ.)
समस्त,राजस्थान।

विषयः- एल0आर0सी0 योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत, एल.आर.सी. योजना के अन्तर्गत, जमाबंदी की कम्प्यूटराईज्ड प्रतियाँ जारी होने की संख्या अभी बहुत कम है जिससे यह प्रतीत होता है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अभी इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी का अपेक्षित प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है।

अतः इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि पटवारी स्तर से राजस्व व अन्य वसूली के लिये प्रयुक्त रसीद के सबसे नीचे रिक्त स्थान पर इससे संबंधित सूचना अंकित करवाई जावें ताकि रसीद प्राप्त करने के साथ-साथ ही अधिकाधिक लोगों को भू0अ0 कम्प्यूटराईजेशन योजना की जानकारी हो सके।

अगले वित्तीय वर्ष से रसीद पी-33 में उक्त सूचना मुद्रित करवाने की कार्यवाही की जारही है। इस समय आपके जिले में तहसील/ पटवारी के पास उपलब्ध अप्रयुक्त (खाली) रसीद बुकों में प्रत्येक रसीद में सबसे नीचे रिक्त स्थान पर **"तहसील के अपना खाता केन्द्र पर कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी नकल नियमानुसार तत्काल प्राप्त करें"** की सील लगवायी जावे ताकि रसीद प्राप्त करते समय अधिकाधिक लोगो को तहसील के "अपना खाता केन्द्र" से तत्काल कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी नकल उपलब्ध होने की महत्वपूर्ण सुविधा की जानकारी हो सके।

भवदीय

अति0निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।
दिनांकः- 24.02.03

क्रमांक/राम /सम/ 1408-1412
प्रतिलिपिः-

1. उपशासन सचिव, राजस्व(ग्रुप-2) विभाग,राज0,जयपुर
2- तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., एन0आई0सी0, कमरा नं0318, उत्तर पश्चिमी खण्ड, सचिवालय, जयपुर।
3- ए.सी.पी.,राजस्व मण्डल अजमेर।
4- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रपत्र पी-33 के प्रत्येक पृष्ठ पर "तहसील के अपना खाता केन्द्र पर कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी नकल नियमानुसार तत्काल प्राप्त करें" लाल स्याही से मुद्रित कराने का श्रम करें।
5- जी-1 प्रकोष्ठ, भू.अ.शाखा,राजस्व मण्डल अजमेर।

22/2

अति0निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।